

## कार्यालय जिला सेनानी अग्निशमन/नगरसेना बिलासपुर (छ.ग.)

कमोंक/ 1837/फायर सर्विस/19,

बिलासपुर, दिनांक 26/9 /2019

### “अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि नगरसेना अग्निशमन विभाग के मनोनित अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.19 को सेंट विसेंट पलोट उ.मा.शाला मंगला रोड बिलासपुर के श्री मरायनूस खाखा प्राचार्य के साथ निरीक्षण किया गया जो संतोष जनक पाया गया । अतः निम्न शर्तों के आधार पर 01 वर्ष की अवधि लिए अग्नि शमन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

#### —:शर्तें:—

1. सभी अग्नि सुरक्षा यंत्र/प्रणाली एवं निकास द्वारा व्यवधान रहित चालू हालत में रखा जावे। इसमें किसी प्रकार के चूक के लिये प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है। तो इस प्रमाण-पत्र को निरस्त माना जावेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली उपकरणों को संचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जावे एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉक ड्रील कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जावे।
4. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बॉय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
5. मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम व सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।

जारी दिनांक- 26-9-19



(पी0बी0सिदार)

डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट  
एवं अग्निशमन अधिकारी  
नगरसेना, बिलासपुर (छ.ग.)

*Mama*  
MANAGER,  
St. Vincent Pallotti School  
Mangla Road, P.B. No. 18  
Bilaspur (C.G.)

*Pr. Luy*  
PRINCIPAL  
St. Vincent Pallotti Sen. Sec. School  
27 Kholi, P.B. No. - 18  
BILASPUR (C.G.)